

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 2411/आई0बी0/108बी0-22ए/अनु0-94/पूँजी लेखा लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर 2018
कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश स0-119/2018/3132/18-27-सि-9-86एसएवी/15 दिनांक-20-12-2018 द्वारा "सरयू नहर परियोजना की चलित नहरों की क्षमता पुनर्स्थापना के कार्यों की परियोजना" हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रु0 2288.57 लाख की वित्तीय स्वीकृति मिलित हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के कम में मुख्य अभियन्ता (सरयू-प्रथम) अयोध्या के अनुरोधानुसार निम्नांकित मुख्य अभियन्ताओं को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है -
(आकड़े लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक / उपशीर्षक / मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रदिति धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 17-सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 10-नहरें 1006-पुनर्स्थापना 24-बृहत्त निर्माण कार्य	(सरयू परियोजना-प्रथम) अयोध्या	1088.57
	(सरयू परियोजना-द्वितीय) गोण्डा	1200.00
	योग-	2288.57

(रुपया बाइस करोड अट्ठारसी लाख सत्तावन हजार मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक-01 से 16 तक दिये नियमों/शर्तों का अखरक अनुपालन किया जाय।

बिनय कुमार राठी
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या: 2411/(1)/आई0बी0/तददिनांक- 29/12/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक जायदाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- विशेष सचिव, सिंचाई अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (पूर्व) सि० वि० उ०प्र०, गोरखपुर।
- 6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सि० वि०, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 7- मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/सूचना प्रणाली संगठन, सि० वि०, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-1/2) सि० वि०, उ०प्र०, अयोध्या/गोण्डा को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 10- अधिसासी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 11- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12- कट फाईल।

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृत प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।